

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Excise Appeal Case No.-20/2025]

Bibi Noor Jahan Khatun.....Petitioner.

Versus

The State of BiharOpposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<u>14.06.2025</u>	<u>आदेश</u> प्रस्तुत वाद निम्न न्यायालय जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्ता, सहरसा के Confiscation Case No: 78/2024 में दिनांक 23.09.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका संख्या 18506/2024 में दिनांक 23.01.2025 को पारित आदेश के आलोक में Bihar Prohibition and Excise Act and Rule, 2021 read with amended rule 2022 की धारा 92 के अंतर्गत इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। दिनांक-25.04.2025 को सुनवाई के दौरान Special P.P. (Excise) के द्वारा बताया गया कि उत्पाद अधिनियम के सेक्शन 92 में समाहर्ता के आदेश के विरुद्ध उत्पाद आयुक्त के समक्ष अपील का प्रावधान है। संबंधित प्रावधान का अवलोकन किया। अतः इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने के कारण इस अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजे। <u>Page k.</u> <u>14/6/25.</u> आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। <u>Page k.</u> <u>14/6/25.</u> आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

